

4
4
23

उपखण्ड अधिकारी
पनावनी दिनांक 3.11.23 का दिनांक लेने के
कारण माफ़ करनी है की गयी, वकील पार्सी व
पार्सी को आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज
लगाते के बावजूद भी वकील पार्सी व पार्सी
आवाज को दृष्टि नहीं देने पर उनके
आवाज को उनके दायाँ आवाज पैरवी में
आवाज सुनिश्चित करा है। पनावनी फैसल
शुभर लेखक बाबर ले का लेखक
वकील वकील है।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़